



दिनांक- 02.10.2020

MAHOBAPOLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनायी गयी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयन्ती

आज दिनांक 02.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस लाइन महोबा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयन्ती व पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 116 वीं जयन्ती के शुभ अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में उन्हें सलामी दी गयी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखण्डता, सुरक्षा हेतु शपथ दिलायी गयी एवं राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन चरित्र तथा उनके द्वारा बताये गये सत्य व अहिंसा के उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेरित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत सभी से विशेष साफ-सफाई के रखने तथा की अपील की गयी, कहा गया कि सफाई करें नहीं बल्की सफाई रखें जिससे हमारे आस-पास का वातावरण भी स्वच्छ रहे।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा राष्ट्रपिता व पूर्व प्रधानमंत्री की जयन्ती के अवसर पर पुलिस कार्यालय महोबा में सभी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ सलामी दी गयी व सभी को अहिंसा व राष्ट्र-प्रेम के प्रति शपथ दिलायी गयी व अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर कहा कि कोविड-19 के प्रति खुद के साथ-साथ अपने कार्यालय को भी घर की तरह साफ रखना चाहिये, जब स्वच्छता होगी तभी कार्य प्रगति होगी।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह द्वारा थाना कोतवाली महोबा में व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना कुलपहाड में इसी प्रकार जनपद के सभी थानों में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण करते हुये सलामी दी गयी एवं उनके आदर्शों को अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक- 02.10.2020

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने जिलाबदर शातिर अपराधी को अवैध देशी तमंचे सहित किया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे शातिर गैंगेस्टर अभियुक्तों के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक **02.10.2020** को प्र०नि० अजनर श्री विनोद कुमार प्रजापति के नेतृत्व में गठित टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब मुखबिर की सूचना पर ग्राम पुरवा पनवाडी से 19 किमी पूर्व थाना अजनर से शातिर अपराधी महेन्द्र राजपूत पुत्र रामप्रकाश लोधी उम्र 31 वर्ष को 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज

के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त को जिलाधिकारी महोबा के द्वारा दिनांक 23.07.2020 को 06 माह के लिये जिलाबदर किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 167/2020 धारा 10 यू०पी० गुण्डा एक्ट व मु०अ०सं० 168/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मां० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. उ.नि. श्री हरिश्चन्द्र मिश्रा थाना अजनर महोबा 2. का.विजय कुमार 3. का. चन्दन पांचाल 4.का. हरिओम यादव 5. का. लोकेन्द्र प्रताप सिंह

आपराधिक इतिहास जिला बदर अपराधी महेन्द्र राजपूत पुत्र रामप्रकाश लोधी निवासी ग्राम पुरवापनवाडी थाना अजनर जिला महोबा उम्र 31 वर्ष:-

1. 133/18 धारा 452/354/323/506/336 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)बी, 3(2)5 क एससीएसटी एक्ट थाना श्रीनगर **2.** मु.अ.स.107/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर **3.** मु.अ.स.406/19 धारा 354क/323/504/506/ भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(1)बी, 3(2)5 क एससीएसटी कोतवाली महोबा **4.** एनसीआर नं. 56/19 धारा 323/504/506 भादवि थाना अजनर **5.** मु.सि.सि.नं. 110/19 धारा 3 यू.पू. गुण्डा एक्ट थाना अजनर **6.** मु.सि.सि.नं.185/19 धारा 107/116 सीआरपीसी थाना अजनर **7.** मु.अ.स. 167/2020 धारा 10 यू.पू. गुण्डा एक्ट थाना अजनर **8.** मु.अ.सं. 168/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जनपद महोबा।



दिनांक- 02.10.2020

MAHOBAPOLICE

सोशल मीडिया सेल



“कबरई प्रकरण” में नामजद 02 अभियुक्त हुए गिरफ्तार



दिनांक 08.09.2020 को थाना कबरई में श्री इन्द्रकान्त त्रिपाठी के साथ हुई घटना के सम्बन्ध में थाना कबरई में मु0अ0सं0 234/20 धारा 387/307/120बी भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1. तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार 2. तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेन्द्र शुक्ला 3. सुरेश सोनी पुत्र राम गोपाल सोनी नि0मु0 जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा 4. ब्रम्हदत्त तिवारी पुत्र भगवानदास तिवारी नि0मु0 बैवे थोक कस्बा व थाना मटौध जनपद बाँदा 4. कुछ पुलिस कर्मी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मजरुब इन्द्रकान्त त्रिपाठी की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप अभियोग में धारा 302 भादवि की

वृद्धि की गई। अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर श्री कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी बबेरु व निरीक्षक श्री अरुण कुमार पाठक (प्रभारी मानीट्रिंग सेल, चित्रकूट) की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है। अभियोग में विवेचना से प्राप्त इलेक्ट्रानिक व भौतिक साक्ष्य से अभियोग को धारा 306/387/120बी/504/506 भादवि व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 में परिवर्तित किया गया। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुरदमें में 01 अन्य अभियुक्त आरक्षी अरुण कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया है। अभि0गणों की गिरफ्तारी हेतु गठित विशेष टीम द्वारा प्रयास कर अभियोग के नामित अभियुक्त 1. ब्रम्हादत्त तिवारी पुत्र भगवानदीन तिवारी निवासी कस्बा व थाना मटौध जनपद बाँदा 2. सुरेश सोनी पुत्र राम गोपाल सोनी निवासी कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा को आज दिनांक 02.10.2020 को प्र0नि0 कबरई श्री दीपक कुमार पाण्डेय मय हमराहियान के द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों का विवरण:-

1. ब्रम्हादत्त तिवारी पुत्र भगवानदीन तिवारी निवासी कस्बा व थाना मटौध जनपद बाँदा
2. सुरेश सोनी पुत्र राम गोपाल सोनी निवासी कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. दीपक कुमार पाण्डेय (प्र0नि0 कबरई)
2. का0 धर्मवीर सिंह
3. का0 नईम अहमद
4. का0 जय प्रकाश



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक- 02.10.2020

MAHOBAPOLICE

सोशल मीडिया सेल



सीओ कुलपहाड़ द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक



आज दिनांक 02.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे पैदल गस्त के दौरान संदिग्धो/संवेदनशील/धार्मिक जगहो की चेकिंग एवं कोविड-19 के मद्देनजर मास्क चेकिंग/जागरूकता अभियान के तहत सीओ कुलपहाड़ श्री रामप्रवेश राय द्वारा मय थाना कुलपहाड़ पुलिस बल के साथ कस्बा गस्त के दौरान

संदिग्धो की चेकिंग की गई व लोगो से कोविड-19 नियमो का पालन करने की अपील की गई। क्षेत्राधिकारी द्वारा नियमो के उल्लंघन पर आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपहाड़ पुलिस को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त करके मुख्य बाजार, बस-स्टैंड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/ दुकानो की चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान लोगो को कोविड-19 संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया गया। लोगो से मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।



@mahobapolice



SP Mahoba



7839857330



दिनांक- 02.10.2020

MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया 10450/-रु0 का जुर्माना एवं यातायात नियमों के तहत किये गये ई-चालान



आज दिनांक 02.10.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेकिंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेकिंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों

के उल्लंघन पर समस्त थानों द्वारा कोविड-19 के तहत 74 व्यक्तियों से 10450/-रु0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 42 ई-चालान किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंस (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

